दैनिक न्याय साक्षी

खबरें खास

रायगढ़, शुक्रवार 17 जनवरी 2020

www.nyaysakshi.com

महत्वपूर्ण एवं खास

शिक्षक पंचायत के संविलियन हेतु प्रारंभिक वरिष्ठता सूची जारी

» 20 जनवरी तक दावा-आपत्ति आमंत्रित

न्याय साक्षी/रायगढ़। जिला पंचायत, रायगढ़ अंतर्गत सभी विकासखण्ड एवं निगम, नगर पंचायतों में कार्यरत शिक्षक (पंचायत व नगरीय निकाय) संवर्ग के कर्मचारियों जिनकी सेवा अवधि 01 जनवरी 2020 को 8 वर्ष या उससे अधिक की सेवा पूर्ण हो चुकी है उसका संविलियन हेतु प्रारंभिक वरिष्ठता सूची तैयार कर जिला पंचायत रायगढ़, जनपद पंचायत, खण्ड शिक्षा कार्यालय तथा नगर निगम एवं नगर पालिका कार्यालयों के सूचना पटल पर प्रकाशित कर दी गई है। संविलियन हेतु प्रारंभिक वरिष्ठता सूची के संबंध में किसी को भी कोई आपत्ति हो तो वे 20 जनवरी 2020 तक समस्त दस्तावेजों के साथ कर्मचारी स्वयं उपस्थित होकर जिला पंचायत रायगढ़ कार्यालय में दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है।

आबकारी टीम ने जब्त की 45 लीटर शराब

रायपुर। रायपुर जिला की आबकारी टीम ने 5 पेटी देशी मदिरा मसाला कुल 45 लीटर शराब एवं स्कूटी क्रमांक सीजी 4 एमटी 3585 जब्त कर आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के अंतर्गत कार्यवाही की है।

स्कूल, कॉलेज, आईटीआई, छात्रावास सहित अनेक महत्वपूर्ण भवनों का निर्माण पूर्ण

रायपुर। राज्य सरकार के लोक निर्माण विभाग द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रदेश में स्कूल, कॉलेज, छात्रावास, आईटीआई, स्टेडियम सहित अनेक महत्वपूर्ण भवनों का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है। लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू के निर्देश पर विभागीय अधिकारियों द्वारा निर्माणाधीन भवनों को प्राथमिकता से पूर्ण किया जा रहा है। प्रमुख अभियंता डी.के. अग्रवाल ने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में अब तक शासकीय महाविद्यालय बेमेतरा, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय डोंगरगढ़, नवीन आईटीआई एवं छात्रावास भवन पोड़ी एवं बड़ेराजपुर, आईटीआई भटगांव ,नवीन आईटीआई लखनपुर, दुर्गकोंदल एवं शंकरगढ़, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खपरीकला विकासखंड तिल्दा, कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चौबे कॉलोनी और फुण्डहर विकासखण्ड धरसींवा शामिल है। एवं सन्ना विकासखण्ड बगीचा मे 50 सीटर पोस्ट मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास, मोरा जिला रायगढ़ एवं जजावल में 50 सीटर प्री-मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास शामिल है। अधिकारियों ने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में राज्य खेल प्रशिक्षण केन्द्र बिलासपुर में निर्मित इंडोर स्टेडियम में अकाउस्टिक एवं एयर कंडिशनिंग कार्य, राज्य स्तरीय खेल प्रशिक्षण केन्द्र में सिंथेटिक ट्रेक, बहतराई स्टेडियम बिलासपुर में बेस एवं अन्य निर्माण के अलावा अंबिकापुर में जिला कार्यालय भवन, केन्द्रीय जेल रायपुर में 50-50 बंदी क्षमता के 12 बैरकों का निर्माण, बलरामपुर, सुकमा और बालोद जिले में जीएडी आवास गृहों का निर्माण, बलरामपुर में सर्किट हाउस और चन्द्रपुर, सारंगढ़, मानपुर तथा राजनांदगंव के डुण्डेरा में विश्राम गृहों का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है।

रिमिजियुस एक्का बने सचिव छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग

रायपुर। राज्य शासन द्वारा श्री रिमिजियुस एक्का संयुक्त सचिव नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को सचिव छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के पद पर पदस्थ किया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मंत्रालय से आज इस आशय के आदेश जारी कर दिया गया है।

अवैध परिवहन करते पाए जाने पर 272 कट्टा धान सहित दो ट्रेक्टर जप्त

रायपुर। प्रदेश में धान के अवैध परिवहन और भण्डारण पर निरंतर कार्रवाई की जा रही है। जांजगीर-चांपा जिले के मालखरौदा के ग्राम पंचायत सतगढ़ क्षेत्र में अवैध परिवहन करते पाए जाने पर दो ट्रेक्टर और 272 कट्टा धान जप्त किया गया है। मालखरौदा तहसीलदार ने बताया कि ट्रेक्टर क्रमांक सीजी 11 डी 4123 से बिना वैध कागजात के परिवहन करते पाए जाने पर 122 कट्टा धान जप्त किया गया। ग्राम भांठा में श्री विरेन्द्र राठिया से सोल्ड ट्रेक्टर में 150 कट्टा धान कागजात के आभाव में जप्त किया।

गणेश हाथी को मिलेगा वनक्षेत्र में उचित रहवास

» गणेश हाथी के उत्पात से वनांचल के निवासियों एवं किसानों को मिलेगी राहत » अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य प्राणी एस.के.सिंह ने ली बैठक

न्याय साक्षी/रायगढ़। विगत दिनों में गणेश हाथी द्वारा जनधन की क्षति को देखते हुए अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य प्राणी एस.के.सिंह की अध्यक्षता में आज यहां कलेक्टोरेट के सृजन सभाकक्ष में गणेश लोनर टस्कर वन्य हाथी के वनक्षेत्र में उचित रहवास के चयन हेतु समिति की बैठक हुई। इस अवसर पर मुख्य वन संरक्षक बिलासपुर अनिल कुमार सोनी एवं जिला पंचायत सीईओ ऋचा प्रकाश चौधरी उपस्थित थी।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य प्राणी एस.के.सिंह ने कहा कि धरमजयगढ़ एवं आसपास के सघन वनों में हाथी विचरण करते है और कई बार ओडिसा एवं अन्य राज्यों से यहां आकर यहां के बाशिंदे के समान बन जाते है। भोजन, पानी एवं सुरक्षा मिलने पर ये उसी के अनुरूप अपना विचरण क्षेत्र (कॉरिडोर)बनाते है। कई बार यह क्षेत्र 1000 कि.मी.भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि ओड़िसा से आने वाले हाथी यहां से वापस नहीं जा रहे हैं और यहां निवास करने लगे हैं, जिससे जटिल समस्याएं आयी है। जिसके समाधान के लिए हमें प्रयास करना है। उन्होंने कहा कि वहीं मध्यप्रदेश एवं महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से भी हाथियों का यहां आवागमन बढ़ा है। उन्होंने कहा कि हाथी रहवास क्षेत्र विकास करते समय जल स्त्रोतों का विशेष ध्यान रखा जायेगा।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एस.के.सिंह ने कहा कि उन्होंने कहा कि गणेश हाथी के आक्रामक होने से जनधन की हानि हुई हैं। गणेश हाथी कोरबा, कटघोरा, धरमजयगढ़ एवं रायगढ़ वनमंडल के वन क्षेत्र में विचरण करता है, मुख्यतः गणेश हाथी धरमजयगढ़ वनमंडल में ज्यादा विचरण करता है। गणेश हाथी के द्वारा रायगढ़ वनमंडल अंतर्गत घरघोड़ा, तमनार एवं रायगढ़ परिक्षेत्र के अंतर्गत विचरण किया गया। उन्होंने कहा कि गणेश हाथी के लोकेशन को ट्रैक करने के लिए कॉलर आईडी' लगाया गया है। जिससे जमीनी स्तर में वन अधिकारियों एवं कर्मचारियों को हाथियों के विचरण की पूरी खबर मिलते रहती है। उन्होंने हाथियों के विचरण क्षेत्र जहां लोगों का भी आवागमन हो ऐसे क्षेत्रों को चिन्हांकित करते हुए वहां बेरियर लगवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रचार-प्रसार के लिए कला जत्था एवं मीडिया का भी सहयोग लेना चाहिए। इन क्षेत्रों में जनधन हानि को कम करने के प्रयास कारगर होगी, जिससे हाथी प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को तत्काल राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि इन प्रभावित क्षेत्रों में एहतियात रखना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि जनहानि होने पर प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल राहत के लिए सुरक्षित स्थानों एवं अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां एवं फोन नंबर, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के फोन नंबर उपलब्ध होना चाहिए। इसके लिए सभी वनमंडलाधिकारी सक्रिय भूमिका निभा सकते है। आपसी चर्चा एवं सुझावों के बेहतर परिणाम सामने आयेंगे।

जिला पंचायत सीईओ ऋचा प्रकाश चौधरी ने कहा कि हाथी द्वारा फसल को नष्ट कर देने पर उसका मुआवजा भी दिया जाएगा वहीं मेढ़ टूटने एवं खेत समतलीकरण के लिए मनरेगा के तहत मजदूरी की राशि भी प्रदान की जाएगी। सरगुजा के डीएफओ ने बताया कि वनमार्ग में जोखिमपूर्ण रास्तों में हाथी के आवागमन को देखते हुए ऐलिफेन्ट एरिया बेरियर लगाया गया है। उन्होंने कहा कि बस्ती से पृथक घरों को भी हाथी उजाड़ देते है। उन्होंने कहा कि रेडियो एवं एप पर भी हाथी के प्रतिदिन के विचरण की जानकारी दी जा सकती है। उन्होंने बताया कि स्थानीय कोटवार को बुलाकर गांव में हाथियों के आवागमन की सूचना मुनादी करवाकर दी जा रही है। उन्होंने कहा कि स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं सरपंच भी हाथी प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते है।

किसानों ने अपनी समस्या बताते हुए कहा कि छाल रेंज के किसानों को हाथी के विचरण से तकलीफ उठानी पड़ रही है। जंगल एवं खेत-खलिहान जाने में भी हाथियों का भय बना रहता है, ऐसे में इस दिशा में हाथियों के रहवास के लिए किया जा रहा यह प्रयास प्रभावी सिद्ध होगा। धरमजयगढ़ के कर्मचारी ने बताया कि गणेश हाथी के लोकेशन को ट्रैक करने के लिए कॉलर आईडी' लगाया गया है। हाथी प्रभावित क्षेत्र हाथी के आगमन की सूचना देने के लिए दो पाली में वनविभाग के कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है, ताकि वे उस क्षेत्र में न जायें। वहीं अधिकारियों ने बताया कि ओडिसा में हाथियों के के लोकेशन की सूचना देने के लिए एन्ड्राईड बनाया गया है।

पुलिस की सक्रियता देख कबाड़ लोड गाड़ी छोड़ भागा ड्राइवर

» पूंजीपथरा पुलिस ने गाड़ी जप्त कर की कार्यवाही

न्याय साक्षी/रायगढ़। पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह के दिशा निर्देशन पर जिले के समस्त थाना क्षेत्रों में अवैध कबाड़, जुआ सट्टा, अवैध शराब पर लगातार कार्यवाही जारी है। पुलिस की सक्रियता से अवैध कार्यों में संलिप्त व्यक्ति सकतें में हैं।

दिनांक 16.01.2020 के दोपहर पूंजीपथरा पुलिस का कुछ स्टाफ मुख्य मार्ग पर वाहनों की जांच तथा पेट्रोलिंग पार्टी द्वारा पेट्रोलिंग की जा रही थी कि पुलिस पेट्रोलिंग एवं वाहनों की जांच की जानकारी पाकर रायगढ़ से पूंजीपथरा की ओर आ रही डाला ट्रक सीजी 13 एल 1668 का चालक व्ही.आई.पी. ढाबा गेरवानी के सामने खाली स्थान पर खड़े स्थान पर गाड़ी खड़ी कर भाग गया। पूंजीपथरा पुलिस को सूचना मिलने पर मौके पर जाकर तस्दीकी की गई।

गाड़ी में लोहे के फेंसिंग खंभे टुकड़े लोड थे जिसका वजन 8 टन कीमत करीब 1,60,000 का है। पुलिस द्वारा वाहन को धारा 102 सीआरपीसी के जप्त कर वाहन स्वामी की पतासाजी की जा रही है।

» लेखा जमा नहीं करने वाले अभ्यर्थियों पर नगर पालिक निगम अधिनियम के तहत होगी कार्यवाही

अभ्यर्थियों को निर्वाचन व्यय का अंतिम लेखा 22 जनवरी तक करना होगा जमा

न्याय साक्षी/रायगढ़। नगरीय निकाय निर्वाचन 2019 अंतर्गत निर्वाचन में शामिल होने वाले समस्त अभ्यर्थियों को निर्वाचन व्यय का अंतिम लेखा 22 जनवरी 2020 तक जमा करने हेतु निर्देशित किया गया है।

समस्त अभ्यर्थियों को दूरभाष के माध्यम से भी बार-बार अवगत कराया जा रहा है। नामांकन के समय प्रदत्त निर्वाचन व्यय रजिस्टर के भाग-एक क्रमांक-3 में प्रदर्शित निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2019 की कंडिका 7 अनुसार निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अंदर निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने हेतु निर्देशित किया गया है।

लेखा दाखिल नहीं किए जाने की स्थिति में छ.ग.नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 14-ख या छ.ग.नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 32-ख के अधीन निरर्हित किए जाने का प्रावधान है।

समस्त अभ्यर्थी अपना निर्वाचन व्यय लेखा अनिवार्य रूप से संबंधित निर्वाचन व्यय संपरीक्षक के पास जमा कराना सुनिश्चित करें। लेखा जमा नहीं किए जाने की स्थिति में होने वाली किसी भी कार्यवाही की संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित अभ्यर्थी की होगी।

छत्तीसगढ़ युवा उत्सव क्वीज प्रतियोगिता में पुसौर के दो छात्रों ने द्वितीय स्थान प्राप्त कर जिले को किया गौरवान्वित

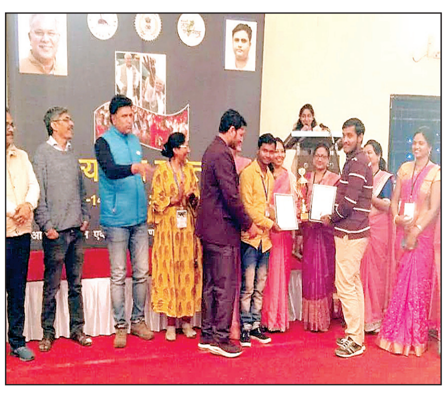

न्याय साक्षी/रायगढ़। स्वामी विवेकानंद की स्मृति में 12 से 14 जनवरी तक रायपुर के साइंस कालेज मैदान में आयोजित छत्तीसगढ़ युवा उत्सव में रायगढ़ जिले के प्रतिभागी कलाकार एवं खिलाडियों ने अपनी शानदार प्रस्तुति दी। जिसमें रायगढ़ जिले के अभिनव विद्या मंदिर पुसौर से कक्षा 12वीं गणित के दो छात्र अभिषेक सतपथी एवं जितेन्द्र प्रधान क्वीज प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ में द्वितीय स्थान प्राप्त कर जिले को गौरवान्वित किये।

प्रेक्षक कांवरे ने मतदान केन्द्रों का किया निरीक्षण

» त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2020

» मतपत्र मुद्रण हो रहे स्थलों में सुरक्षा व्यवस्था हेतु दिए निर्देश

न्याय साक्षी/रायगढ़। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के लिए जिले में नियुक्त प्रेक्षक एम.डी.कांवरे ने आज सारंगढ़ विकासखण्ड के ग्राम रेड़ा स्थित 4 मतदान केन्द्रों का निरीक्षण किया।

इसी तरह रायगढ़ विकासखण्ड के ग्राम-जुर्डा के 3 मतदान केन्द्र, बरमकेला विकासखण्ड के ग्राम बार के 5 मतदान केन्द्र तथा पुसौर विकासखण्ड के ग्राम झारमुड़ा के 2 मतदान केन्द्रों का निरीक्षण किया और वहां आवश्यक सुविधा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। प्रेक्षक कांवरे ने मतदान हेतु मुद्रण किए जा रहे मतपत्र केन्द्र कोड़ातराई, नेहा ऑफसेट रायगढ़, प्रिंटिंग हाऊस रायगढ़ एवं सिटी ऑफसेट प्रिंटर रायगढ़ में जाकर मतपत्र मुद्रण हो रहे कार्यों को देखा और मुद्रण केन्द्र में सुरक्षा व्यवस्था करने हेतु संबंधितों को आवश्यक निर्देश दिए।

ट्रक में लोड 4 टन कबाड़ के साथ चालक गिरफ्तार, कोतवाली पुलिस की कार्यवाही

न्याय साक्षी/रायगढ़। पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह द्वारा जिले के समस्त थाना एवं चौकी प्रभारियों को कबाड़ एवं कोयले के अवैध परिवहन/संग्रहण पर पूर्णतः अंकुश लगाने एवं अपराधों पर नियंत्रण के लिए सामाजिक बुराईयां जुआ-सट्टा, शराब की अवैध बिक्री पर अभियान चला कर कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं। गत दिनों विभिन्न थाना क्षेत्र में अवैध कार्य में लिप्त व्यक्तियों पर कार्यवाही की गई है।

इसी क्रम में दिनांक 15.01.2020 के शाम अपराध विवेचना में ग्राम दनोट रवाना हुए थाना कोतवाली के स्टाफ प्रधान आरक्षक नंदू कुमार सारथी को मुखबिर से सूचना मिला कि रायगढ़-घरघोड़ा मुख्य मार्ग से ट्रक में लोड कबाड़ ले जाया जा रहा है। मुखबिर से प्राप्त सूचना को कोतवाली स्टाफ द्वारा थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक एस.एन. सिंह को अवगत कराया गया। थाना प्रभारी कोतवाली के निर्देशन में , प्रधान आरक्षक नंदू सारथी, डोल नारायण साव व आरक्षक गुलशन चौधरी द्वारा उर्दना के पास मेन रोड़ में नाकेबंदी कर शाम करीब 6:00 बजे रायगढ़ से घरघोड़ा जा रही ट्रक क्रमांक सीजी 13 वीएक्स यूई 7057 को रोककर चेक किए, ट्रक तिरपाल से ढका हुआ था जिसके अंदर लोहे के एंगल, पुराने गाड़ी के पाट्‌र्स एवं बॉडी वजन करीब 4 टन कीमत 1,10,000 का लोड था। स्टाफ द्वारा ट्रक के चालक से पूछताछ पर अपना नाम बबलू सिंह सांसी पिता अधिक सिंह सांसी उम्र 29 साल निवासी अनाज मंडी के सामने शाहबाद मारकंडे जिला कुरुक्षेत्र हरियाणा का होना बताया।

चालक ट्रक में लोड संपत्ति के संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं कर पाने पर कोतवाली पुलिस द्वारा गवाहों के समक्ष कबाड मय ट्रक के जप्त कर पुलिस लाईन कैम्पस में सुरक्षार्थ रखवाया गया है तथा ट्रक चालक बबलू सिंह के विरूद्ध इस्तगासा क्रमांक 01/2020 धारा 4(1+4) सीआरपीसी/ एक्स 379 आईपीसी के तहत कार्यवाही कर आरोपी को आज न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।

पीठासीन अधिकारी मतदान अधिकारी एक और दो को द्वितीय चरण का दिया गया प्रशिक्षण

न्याय साक्षी/रायगढ़। त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन के सुचारू संचालन के लिए आज द्वितीय चरण का प्रशिक्षण पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी 01 और मतदान अधिकारी 02 को विकास खण्ड लैलूंगा, धरमजयगढ़, बरमकेला, पुसौर, लैलूंगा, घरघोड़ा, तमनार एवं रायगढ़ विकास खण्ड के पालीटेक्निक कालेज में दिया गया। मास्टर ट्रेनर द्वारा सभी अधिकारियों को मतदान के पूर्व मतदान केन्द्रों की तैयारी, मतपेटी सीलिंग और मतदान के समाप्ति के पश्चात मतदान संबंधित मतदान केन्द्रों में मतपत्रों की मतगणना के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। मतदान अधिकारी क्रमांक 01 का दायित्व होगा कि मतदाता के प्रवेश करते ही उसका नाम तथा वार्ड क्रमांक की जानकारी लेकर मतदाता सूची में उसके नाम की पुष्टि करेगा। पुष्टि के उपरांत अधिकारी मतदाता के बाए हाथ की तर्जनी के नाखून में अमिट स्याही का निशान लगायेंगे।

इसी प्रकार मतदान अधिकारी 02 मतदाता को क्रमशः पंच और सरपंच पद के लिए सफेद और नीले रंग का मतपत्र देंगे। कार्य निष्पादन में सुविधा एवं सुगमता के लिए मतदान अधिकारी क्रमांक 2 को चाहिए कि वह कागज के टुकड़ों पर वार्डो के क्रमांक लिखकर क्रमवार अपने मेज पर चिपकाये और संबंधित वार्ड के मतपत्रों की बंडल को इनके ऊपर रखें। ऐसा करने से सही वार्ड का मतपत्र जारी करने में सुविधा होगी। प्रशिक्षण में अधिकारियों को बताया गया कि मतदान के एक दिन पूर्व मतदान सामग्री के साथ मतदान दल अपने संबंधित मतदान केन्द्रों के लिए रवाना किए जाएंगे और अपने मतदान केन्द्र पहुंचने के उपरांत सेक्टर अधिकारियों को पहुंचने की सूचना देंगे। अधिकारियों के कर्तव्यों और उनके दायित्वों को बताया गया।

साथ ही मतदान संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। एक मतदान दल में पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी 01, मतदान अधिकारी 02, मतदान अधिकारी 03 और मतदान अधिकारी 04 शामिल रहेंगे।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO :- CHHHIN/2018/76480